

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
शासकीय महाविद्यालय परिसर रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक / 03 / आउशि / योजना / 2012

रायपुर दिनांक 08.07.2012

HC
2.11.12

विषय-
2026
21.7.12

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय बोरी
जिला- दुर्ग (छ.ग.)

शासकीय महाविद्यालय बोरी जिला दुर्ग में नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने
बाबत ।
उत्तमसिंह शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक / 2555 / एफ 3-6E / 2011 /
38-1 रायपुर, दिनांक 05.07.2012

—000—

राज्य शासन के संदर्भित आदेशानुसार बोरी जिला -धमतरी में नवीन महाविद्यालय
प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है । महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय
माल् शैक्षणिक स्तर 2012-13 में प्रारंभ करने तथा कुल 19 पदों के सृजन की स्वीकृति वित्त विभाग की
यु. ओ. क्रमांक 289 / 1001007 / वित्त विभाग / ब-3 / 2012, दिनांक 29.08.2012 द्वारा सहमति प्रदान की
गई है । उक्त पदों का वर्गीकरण विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	पदनाम	पदसंख्या	वेतनमान
शैक्षणिक पद			
1	प्राचार्य	01	37400-67000 AGP रु 10000
2	सहायक प्राध्यापक (अ) विज्ञान संकाय (बायो) (रसायन, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र)	03	15600-39100 AGP रु 8000
	(ब) कला संकाय (हिन्दी अंग्रेजी समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल)	05	15600-39100 AGP रु 6000
	(द) वाणिज्य संकाय	02	15600-39100 AGP रु 6000
अशैक्षणिक पद			
3	सहायक ग्रेड-1	01	5200-20200 AGP रु 2800
4	सहायक ग्रेड-2	01	5200-20200 AGP रु 2400
5	सहायक ग्रेड-3	01	5200-20200 AGP रु 1900
✓ 6	प्रयोगशाला तकनीशियन भूत	03	5200-20200 AGP रु 2400
		02	4750- 7440 AGP रु 1300

mt

उपरोक्त वषट् वित्तीय वर्ष 2012-13 मात संख्या -44 -उच्च शिक्षा - 2202- सामान्य
शिक्षा--(03)--विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा--(103) - सरकारी कालेज और संस्थाएं-0101 -राज्य आयोजना
(सामान्य) -(790)-कला विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय के अन्तर्गत विकल्पीय होगा।
प्रत्येक सहाय में 60 सीट की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर
(छ.ग.)

रायपुर दिनांक 03.07.2012

क्रमांक 99 / 03 / आउशि / योजना / 2012
प्रतिलिपि :-

11-7-2012

1. विशेष सहायक, ना. मंत्री जी, छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर उनके यू.ओ. क्रमांक 269 / 1001007 / वित्त विभाग/ब-3/2012, दिनांक 29.06.2012 के संदर्भ में।
3. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर,
4. कलेक्टर, जिला - दुर्ग (छ.ग.)
5. अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं संबद्धता / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. जिला कोशालय / उपकोषलय अधिकारी, जिला दुर्ग (छ.ग.)
7. कुल सचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय रायपुर को और नवीन महाविद्यालय को संबद्धता प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संयुक्त संचालक(राजपत्रित/अराजपत्रित) उच्च शिक्षा संचालनालय।
9. संबन्धित अग्रणी प्राचार्य, शासकीय पी. जी. महाविद्यालय दुर्ग संबद्धता हेतु तत्काल कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
10. संबन्धित प्रभारी, प्राचार्य, शासकीय पी. जी. महाविद्यालय दुर्ग संबद्धता हेतु तत्काल कार्यवाही कर इस कार्यालय को सूचित करें।
11. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर
(छ.ग.)